

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्रीमती नाथी
किस्म मुकदमा :- 212 आर.टी.एक्ट

विपक्षी :- श्री अमरा रावत वगैरह
पत्रावली संख्या :- 241 / 13 (प्रार्थना पत्र)

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 10.12.2019 – पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया की और से मूल वाद में अधिवक्ता श्री अजीत प्रसाद नीमड़ीया द्वारा वकालत पत्र पेश किया गया। प्रार्थीया स्वयं उपस्थित। प्रार्थीया की पहचान अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा की गई। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र O23R1CPC पेश कर निवेदन किया कि वह उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहती है तथा प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट इसी स्टेज पर ड्रॉप कर खारिज फरमाया जावे।</p> <p>चूंकि प्रार्थीया स्वयं ही प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र O23R1CPC स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के संलग्न रहे।</p> <p>निर्णय खुले ईजलास में सुनाया गया।</p> <p>(शैलेश सुराणा) R.A.S. सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) वल्लभनगर जिला उदयपुर</p>	

